भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3312
20 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम

3312. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम के दौरान सरकार को प्राप्त प्रस्तावों पर खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में कोई प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोमोशन (पीएलआई) योजना शुरू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने 3 से 5 नवंबर , 2023 के दौरान भारत मंडपम , प्रगति में वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 का आयोजन किया। मैदान , नई दिल्ली। इस आयोजन में घरेलू और विदेशी हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला ने भाग लिया, जिसमें 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 1208 प्रदर्शक, 7 मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों सहित 14 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल, 715 विदेशी और 218 घरेलू खरीदार, 97 कॉर्पोरेट कंपनियाँ, 10 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, 6 कमोडिटी बोर्ड शामिल थे। नीदरलैंड इस आयोजन का भागीदार देश था और जापान फोकस देश था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 पर कुल व्यय 48.18 करोड़ रुपये था और आयोजन के दौरान कुल 25.96 करोड़ रुपये के राजस्व का सृजन हुआ।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय अपनी योजनाओं (i) प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और (iii) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है ।

मंत्रालय पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, व्यक्तिगत उद्यमियों सहित उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है।

मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से वैयक्तिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है।

मंत्रालय भारत के प्राकृतिक संसाधन संपदा के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण को सहायता प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना- "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)" को लागू कर रहा है। इसमें 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसे वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जाएगा।

*****